

बनाम

1. श्री श्याम लाल मीणा पुत्र श्री गिराज प्रसाद मीणा, प्रा. मैसर्स एस.के.एजेन्सी व कॉन्ट्रेक्टर पता:ग्राम खारडी पोस्ट ऑफिस भीटोली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर राज० मिडिल स्कूल सेडूलाई के सामने, सवाई माधोपुर रोड लालसोट जिला दौसा दूसरा पता:भट्ट कालोनी, न्यू अनाज मंडी के पास, सवाई माधोपुर रोड, लालसोट दौसा राज० 303503 (ऋणी / बंधककर्ता)
2. श्रीमती गुडडी देवी मीणा पत्नि श्री श्याम लाल मीणा पता:— पता:भट्ट कालोनी, न्यू अनाज मंडी के पास, सवाई माधोपुर रोड, लालसोट दौसा राज० 303503 (जमानती)

.....अप्रार्थी

प्र० पत्र अंतर्गत धा० 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

स्थितः श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 14.12.2021

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी यूको बैंक शाखा लालसोट ने प्रार्थी/ऋणीगण व अन्य को 20,20,000/—(रूपये बीस लाख बीस हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी यूको बैंक शाखा लालसोट को सुना गया। हमने प्रार्थी यूको बैंक शाखा लालसोट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी यूको बैंक शाखा लालसोट को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्री श्यामलाल मीणा पुत्र श्री गिराज प्रसाद मीणा की संपत्ति जो प्लॉट नं० 1793, सेडूलाई के पास, लालसोट जिला दौसा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षेत्रफल लगभग 190 वर्गगज 196.4 वर्गगज है, एवं प्लॉट नं० 1507, खटवा रोड, गणपति नगर, लालसोट जिला दौसा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षेत्रफल लगभग 155 वर्गगज है, जो कि थाना लालसोट के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी यूको बैंक शाखा लालसोट को, किसी स्थान न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फौसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14 दिसंबर 2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा